समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

211-सिंग-II-16

हरचरण पिता नथू आदिवासी
निवासी ग्राम-पालीखेडी तह0बीना
जिला-सागर(म0प्र0) .....आवेदक

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा-कलेक्टर सागर(म0प्र0) .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला सागर के रा0प्र0क्र0 27अ/21वर्ष2015-16 में पारित आदेश दिनाँक 07.12.2015 से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक के भूमि स्वामी हक की भूमि ख0नं078,210,217/2,255/2,306/2,307/1 रकवा क्रमशः 0.41,0.07,0.03,0.18,0.60,0.61 कुल रकवा 2.510 हे0भूमि स्थित ग्राम पालीखेडा तह0बीना जिला सागर की भूमि में से ख0नं0306/2, 307/1 रकवा 0.60 एवं 0.61हे0 भूमि के विक्रय हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया एवं आवेदक गंभीर बीमारी टी0बी0 का मरीज है जिस कारण से उसके द्वारा बीमारी के ईलाज हेतु काफी कर्जा लिया है इस कारण से उक्त भूमि के विक्रय हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा विधिवत् उक्त आवेदन पर इश्तहार का प्रकाशन किया गया एवं पटवारी हल्का से प्रतिवेदन प्राप्त तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी बीना के माध्यम से प्रकरण तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक को आहूत कर उसके तर्क श्रवण उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक का आवेदन निरस्त करने का विवादित आदेश दिनाँक 07.12.2015 पारित कर दिया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी श्रीमान् न्यायालय के समक्ष विधिवत्

Page-2Cont-----

R 211-II/16

2-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक के पास शेष भूमि नहीं रहेगी तथा टी.बी. के ईलाज का ललितपुर के अलावा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में उचित है। परंतु चूंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र एवं चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये है हल्का पटवारी के प्रतिवेदन में भी उल्लिखित भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं बताया है तथा उसके पास ग्राम पालीखेडा में शेष भूमि भी है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों के विचार उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर जिला सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.15 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम पालीखेडा में स्थित भूमि खसरा नंबर 306/2,307/1 रकवा 0.60,0.61 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विक्रय–विलेख संपादित होने के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं – उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय विलेख संपादित करें। सदस्य	